राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

क्रमांक / सामान्य / 2025 / 861 दिनांकः 06जनवरी,2025

आदेश

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर जिले में शीत लहर एवं बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए जिले में ठंड के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चित्तौड़गढ़, से प्राप्त आवेदन पत्र एवं राज्य सरकार द्वारा इस हेतु अधिकृत किये जाने पर दिनांक 07.01.2025 से 09. 01.2025 तक जिले में संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मध्यनजर विद्यालय में अवकाश घोषित किया जाना अति आवश्यक है।

अतः मैं आलोक रंजन, जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला चित्तौड़गढ़ में संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का दिनांक 07.01.2025 से 09.01.2025 तक का अवकाश घोषित करता हूँ। यह अवकाश केवल छात्र–छात्राओं के लिए लागू रहेगा। शेष स्टाफ यथावत कार्य करता रहेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्था प्रधान निर्धारित समय के दौरान कक्षा संचालन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर एवं
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़

क्रमांक / सामान्य / 2025 / 861 दिनांकः–06 जनवरी,2025

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा संभाग उदयपुर
2. समस्त उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार, जिला चित्तौड़गढ़
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित कर लेख हैं कि जिले में संचालित समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में उक्त आदेश की पालना कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, मुख्यालय चित्तौड़गढ़।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला चित्तौड़गढ़।
6. जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, चित्तौड़गढ़।
7. रक्षित पत्रावली।

(आलोक रंजन)
जिला कल
अध्यक्ष जिला ... चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by ... Alok R...
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.01.06 20:18:02 IST
Reason: Approved